

**III**  
**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प खेड़  
ग्राम पंचायत खेड़ के ग्रामों के प्रार्थीगणों के नाम शुद्ध व सही संयुक्त आदेश बनाम सरकार  
किस्म मुकदमा 136 आरएल आर एक्ट नं .....615.. से .....621....सन् 2018

RCMS NO-----

आदेश दिनांक 14.06.2018

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान में अशुद्ध नाम	शुद्ध व सही नाम
1	615	जेरला	3, 152	डाया पुत्र चौथाराम, उकड़ाराम पुत्र चौथाराम	डायाराम पुत्र चौथाराम, उकाराम पुत्र चौथाराम
2	616	कलावा	231, 344	जडाव देवी पुत्री आईदानराम	जडाव देवी पुत्री आदाराम
3	617	खेड़	234	जगाराम पुत्र ऊकाराम	जगदीश पुत्र ऊकाराम
4	618	जेरला	62	रमेश पुत्र बंशीलाल	रामेश्वरलाल पुत्र बंशीलाल
5	619	खेड़	766, 732	गोमा पुत्र माला	गोविन्दराम पुत्र मालाराम
6	620	खेड़	766	लखाराम पुत्र मालाराम	लाखाराम पुत्र मालाराम
7	621	खेड़	732	रामाराम पुत्र जेयाराम	रामलाल पुत्र जेहाराम

(मार्गस्थ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प.....

आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है। निर्णय सभी पत्रावली में संलग्न होकर

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

क्रमांक-न्याय/2018/1107-1108  
प्रतिलिपि -

दिनांक 14.06.2018

1. तहसीलदार ..पचपदरा.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
(भागीरथ राम)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कोर्ट कैम्प-2018  
उपरवण्ड अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर लक्कर  
बालोतरा कम्प-2018